रजिस्ट्री सं० डी० एल०—(एन)04/0007/2003—06 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—06

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

भाग II - खण्ड 1
शाधिकार से प्रकाशित
संख्या 39
नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2006/भाद्रपद 1, 1928

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2006/भाद्रपद 1, 1928

निम्नलिखित अधिनियम, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक २२ अगस्त २००६ को प्राप्त हुई, को इसके द्वारा सभी के लिए जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है:

बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006

संख्या 33, सन् 2006
22 अगस्त, 2006 का अधिनियम
बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में संशोधन के लिए।

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया हो:

लंबे शीर्षक का संशोधन।

1. इस अधिनियम को बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 1 में,—

2.किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के लंबे शीर्षक में, "इस अधिनियम के तहत स्थापित विभिन्न संस्थानों के माध्यम से" शब्दों के स्थान पर "और इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3.
(i) सीमांत शीर्षक में, "और प्रारंभ" शब्दों के स्थान पर ", प्रारंभ और अनुप्रयोग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के प्रावधान उन सभी मामलों पर लागू होंगे जिनमें कानून से संघर्षरत किशोरों की नजरबंदी, अभियोजन, दंड या कारावास की सजा शामिल है, जो ऐसे अन्य कानून के तहत है।"

मूल अधिनियम की धारा 2

4. (i) खंड (a) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

'(aa) "दत्तक ग्रहण" का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से दत्तक ग्रहण किया गया बच्चा अपने जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है और अपने दत्तक माता-पिता का वैध बच्चा बन जाता है, जिसमें इस रिश्ते से जुड़े सभी अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं;';

(ii) खंड (d) में,—

(I) उप-खंड (i) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(ia) जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है, या जो सड़क पर रहने वाला बच्चा है या काम करने वाला बच्चा है,";

(II) उप-खंड (v) में, 'परित्यक्त' शब्द के बाद 'या समर्पित' शब्द जोड़े जाएंगे;

(iii) खंड (h) में, "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर राज्य सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) खंड (l) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(l) "कानून के साथ संघर्ष में बालक" का अर्थ है वह बालक जिसने कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया हो और जिसने अपराध करने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो;';

(v) खंड (m) को हटा दिया जाएगा।

कुछ अभिव्यक्तियों का लोप।

5. मूल अधिनियम में, जहां कहीं भी "स्थानीय प्राधिकारी", "या स्थानीय प्राधिकारी" और "या स्थानीय प्राधिकारी" शब्द आते हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा।

धारा 4 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उप-धारा (1) में, "आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट जिले या जिलों के समूह के लिए गठित करें" शब्दों के स्थान पर "बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए गठित करें" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 6 में संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में, उप-धारा (1) में, "या जिलों का समूह" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

नई धारा 7A का सम्मिलन

8. मूल अधिनियम की धारा 7 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

किसी न्यायालय के समक्ष बाल्यावस्था का दावा उठाए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

"7A. (1) जब भी किसी न्यायालय के समक्ष बाल्यावस्था का दावा किया जाता है या कोई न्यायालय यह राय रखता है कि अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को बालक था, तो न्यायालय एक जांच करेगा, ऐसी साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (लेकिन शपथ-पत्र नहीं) ताकि उस व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और यह दर्ज करेगा कि वह व्यक्ति बालक या बच्चा है या नहीं, उसकी आयु को यथासंभव निकटता से बताते हुए:

परंतु यह कि बाल्यावस्था का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है

और इसे किसी भी चरण में, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, मान्यता दी जाएगी, और ऐसा दावा इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, भले ही बालक इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले बालक न रहा हो।

(2) यदि न्यायालय यह पाता है कि उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को व्यक्ति बालक था, तो वह बालक को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड को अग्रेषित करेगा, और यदि कोई सजा दी गई हो तो उसे प्रभावी नहीं माना जाएगा।"

धारा 10 में संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 10 में, उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जैसे ही कानून के साथ संघर्ष में बालक को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, उसे विशेष बाल पुलिस इकाई या नामित पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा, जो उसे बोर्ड के समक्ष बिना किसी समय की हानि के, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर, उस स्थान से बोर्ड तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि किसी भी स्थिति में, कानून के साथ संघर्ष में बालक को पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं भेजा जाएगा।"

धारा 12 में संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उप-धारा (1) में, "जमानत के साथ या बिना जमानत" शब्दों के बाद, "या प्रोबेशन अधिकारी की देखरेख में रखा जाए या किसी उपयुक्त संस्था या उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखा जाए" शब्द जोड़े जाएंगे।

धारा 14 में संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 14 को इसके उप-धारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रत्येक छह महीने में बोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा करेगा, और बोर्ड को अपनी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश देगा या अतिरिक्त बोर्डों का गठन कर सकता है।"

धारा 15 में संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 15 में, उप-धारा (1) में, खंड (g) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(g) एक आदेश पारित करेगा जिसमें बालक को तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजने का निर्देश दिया जाएगा:

परंतु यह कि बोर्ड, यदि वह अपराध की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए संतुष्ट है कि ऐसा करना समीचीन है, तो लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए, ठहरने की अवधि को ऐसी अवधि तक कम कर सकता है जैसा वह उचित समझे।"

धारा 16 में संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(i) उप-धारा (1) में, "या आजीवन कारावास" शब्दों के स्थान पर "या किसी अवधि के लिए कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-धारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि इस प्रकार आदेशित नजरबंदी की अवधि किसी भी स्थिति में इस अधिनियम की

धारा 15 के तहत प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी।"

धारा 20 में संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 20 में, निम्नलिखित परंतुक और व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"परंतु यह कि बोर्ड, आदेश में उल्लिखित किसी पर्याप्त और विशेष कारण के लिए, मामले की समीक्षा कर सकता है और ऐसे बालक के हित में उचित आदेश पारित कर सकता है।

व्याख्या—सभी लंबित मामलों में, जिसमें मुकदमा, पुनरीक्षण, अपील या कोई अन्य आपराधिक कार्यवाही शामिल है, जो किसी न्यायालय में कानून के साथ संघर्ष में बालक के संबंध में है, ऐसे बालक की बाल्यावस्था का निर्धारण धारा 2 के खंड (l) के अनुसार होगा, भले ही बालक इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले बालक न रहा हो, और इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान उस समय लागू थे जब कथित अपराध किया गया था।"

धारा 21 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन अधिनियम के तहत कार्यवाही में शामिल कानून के साथ संघर्ष में बालक या देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के नाम आदि के प्रकाशन पर प्रतिबंध।

15. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"21. (1) किसी समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार पत्रक या दृश्य मीडिया में इस अधिनियम के तहत कानून के साथ संघर्ष में बालक या देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के संबंध में किसी जांच का कोई विवरण उस बालक या बच्चे का नाम, पता, स्कूल या कोई अन्य विवरण जो उनकी पहचान प्रकट कर सकता हो, प्रकाशित नहीं करेगा, न ही ऐसे बालक या बच्चे की कोई तस्वीर प्रकाशित की जाएगी:

परंतु यह कि लिखित में दर्ज किए गए कारणों के लिए, जांच करने वाला प्राधिकारी, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकाशन बालक या बच्चे के हित में है, तो ऐसा प्रकाशन करने की अनुमति दे सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।"

धारा 29 में संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 29 में, उप-धारा (1) में, "आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, गठित करें" शब्दों के स्थान पर "बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए गठित करें" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 32 में संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(a) उप-धारा (1) में,—

(i) खंड (iv) में, "राज्य सरकार द्वारा अधिकृत" शब्दों को हटा दिया जाएगा;

(ii) अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि बच्चे को समिति के समक्ष बिना किसी समय की हानि के, लेकिन चौबीस घंटे के भीतर, यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, प्रस्तुत किया जाएगा।";

(b) उप-धारा (2) में, "पुलिस को और" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

18. मूल अधिनियम की धारा 33 में,— *धारा 33 में संशोधन*

(a) उप-धारा (1) में, "या कोई पुलिस अधिकारी या विशेष बाल पुलिस इकाई या नामित पुलिस अधिकारी" शब्दों को हटा दिया जाएगा;

(b) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) राज्य सरकार प्रत्येक छह महीने में समिति के लंबित मामलों की समीक्षा करेगी, और समिति को अपनी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश देगी या अतिरिक्त समितियों के गठन कर सकती है।

(4) जांच के पूरा होने के बाद, यदि समिति की राय है कि उक्त बच्चे का कोई परिवार या प्रत्यक्ष सहारा नहीं है या उसे निरंतर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह बच्चे को बच्चों के गृह या आश्रय गृह में रहने की अनुमति दे सकती है जब तक कि उसके लिए उपयुक्त पुनर्वास नहीं मिल जाता या वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।"

19. मूल अधिनियम की धारा 34 में, उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— *धारा 34 में संशोधन*

"(3) इस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बिना, सभी संस्थाएं, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा संचालित हों या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए संचालित हों, बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से पंजीकृत होंगी।"

20. मूल अधिनियम की धारा 39 में, व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— *धारा 39 में संशोधन*

'व्याख्या—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बच्चे की बहाली और संरक्षण" का अर्थ है बहाली —

(a) माता-पिता;

(b) दत्तक माता-पिता;

(c) पालक माता-पिता;

(d) अभिभावक;

(e) उपयुक्त व्यक्ति;

(f) उपयुक्त संस्था।'

21. मूल अधिनियम की धारा 41 में,— *धारा 41 में संशोधन*

(i) उप-धाराओं (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) अनाथ, परित्यक्त या समर्पित बच्चों के पुनर्वास के लिए दत्तक ग्रहण का सहारा लिया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(3) राज्य सरकार या केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी दत्तक ग्रहण के लिए विभिन्न दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप, और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, बच्चों को दत्तक ग्रहण में देने के लिए आवश्यक जांचों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद, न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण में दिया जा सकता है।

(4) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में अपनी एक या अधिक संस्थाओं या स्वैच्छिक संगठनों को

विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों के रूप में मान्यता देगी, जैसा कि निर्धारित किया जाए, अनाथ, परित्यक्त या समर्पित बच्चों को दत्तक ग्रहण में देने के लिए उप-धारा (3) के तहत अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार:

परंतु यह कि बच्चों के गृह और राज्य सरकार या स्वैच्छिक संगठन द्वारा संचालित संस्थाएं, जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले अनाथ, परित्यक्त या समर्पित बच्चों के लिए हैं, यह सुनिश्चित करेंगी कि इन बच्चों को समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जाए और ऐसे सभी मामले उस जिले में दत्तक ग्रहण एजेंसी को उप-धारा (3) के तहत अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार दत्तक ग्रहण में देने के लिए भेजे जाएंगे।";

(ii) उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(6) न्यायालय किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में देने की अनुमति दे सकता है—

(a) किसी व्यक्ति को, चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो; या

(b) माता-पिता को, एक ही लिंग के बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए, चाहे उनके जीवित जैविक पुत्रों या पुत्रियों की संख्या कुछ भी हो; या

(c) निःसंतान दंपतियों को।"

धारा 57 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

22. "57. राज्य सरकार किसी बच्चे या बालक को राज्य के भीतर किसी बच्चों के गृह या विशेष गृह से किसी अन्य बच्चों के गृह, विशेष गृह या समान प्रकृति की संस्था में, या संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से और समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, को पूर्व सूचना के साथ, ऐसी संस्थाओं में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकती है, और ऐसा आदेश उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के लिए प्रभावी माना जाएगा जहां बच्चा या बालक भेजा गया है।"

मूल अधिनियम की धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी,

धारा 59 में संशोधन

23. मूल अधिनियम की धारा 59 में, उप-धारा (2) में, "अधिकतम सात दिनों के लिए" शब्दों के स्थान पर "सामान्य रूप से सात दिनों से अधिक नहीं की अवधि के लिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 62A का सम्मिलन

24. मूल अधिनियम की धारा 62 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"62A. प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए एक बाल संरक्षण इकाई और प्रत्येक जिले के लिए ऐसी इकाइयां गठित करेगी, जिसमें ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे जिन्हें उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, ताकि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून के साथ संघर्ष में बालकों से संबंधित मामलों को संभाला जाए, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें गृहों की स्थापना और रखरखाव, इन बच्चों के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों की अधिसूचना, और विभिन्न आधिकारिक और गैर-आधिकारिक एजेंसियों के साथ समन्वय और पुनर्वास शामिल है।"

अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बाल संरक्षण इकाई का गठन।

धारा 64 में संशोधन

25. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(i) "निर्देश दे सकती है" शब्दों के स्थान पर "निर्देश देगी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित परंतुक और व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"परंतु यह कि राज्य सरकार, या जैसा भी मामला हो, बोर्ड, लिखित में दर्ज किए गए किसी पर्याप्त और विशेष कारण के लिए, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले बालक न रहे कानून के साथ संघर्ष में बालक के कारावास की सजा की समीक्षा कर सकती है, और ऐसे बालक के हित में उचित आदेश पारित कर सकती है।

व्याख्या—सभी मामलों में जहां इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को कानून के साथ संघर्ष

में बालक कारावास की सजा काट रहा है, उसका मामला, जिसमें बाल्यावस्था का मुद्दा शामिल है, धारा 2 के खंड (l) और इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में निहित अन्य प्रावधानों के अनुसार तय माना जाएगा, भले ही वह उस तारीख को या उससे पहले बालक न रहा हो, और तदनुसार उसे विशेष गृह या उपयुक्त संस्था, जैसा भी मामला हो, में सजा की शेष अवधि के लिए भेजा जाएगा, लेकिन ऐसी सजा किसी भी स्थिति में इस अधिनियम की धारा 15 में प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी।"

26. मूल अधिनियम की धारा 68 में,—

धारा 68 में संशोधन

(a) उप-धारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि केंद्र सरकार इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकने वाले सभी या किसी भी मामले के संबंध में मॉडल नियम बना सकती है, और जहां ऐसे किसी मामले के संबंध में मॉडल नियम बनाए गए हैं, वे तब तक राज्य पर लागू होंगे जब तक कि उस मामले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए जाते, और ऐसे नियम बनाते समय, जहां तक संभव हो, वे ऐसे मॉडल नियमों के अनुरूप हों।";

(b) उप-धारा (2) में,—

(i) खंड (x) में, "उप-धारा (2)" शब्दों, अक्षर और कोष्ठकों के बाद, निम्नलिखित शब्द, अक्षर और कोष्ठक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"और उप-धारा (3) के तहत संस्थाओं के पंजीकरण का तरीका";

(ii) खंड (xii) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(xiia) धारा 41 की उप-धारा (2) के तहत दत्तक ग्रहण में अपनाए जाने वाले पुनर्वास तंत्र, उप-धारा (3) के तहत दिशानिर्देशों की अधिसूचना और उप-धारा (4) के तहत विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों की मान्यता का तरीका;";

(c) उप-धारा (3) को इसके उप-धारा (4) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-धारा (4) से पहले, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक लगातार सत्रों में हो सकती है, और यदि उस सत्र के समाप्त होने से पहले, जो तुरंत उस सत्र या लगातार सत्रों के बाद हो, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हों या दोनों सदन सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम केवल ऐसी संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; परंतु, ऐसा कोई संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।"

के.एन.चतुर्वेदी, सचिव, भारत सरकार।

MGIPMRND—2474GI(S4)—24-08-2006.